संख्याः 7 /2026 /128/सत्रह-म-2026-17-1002(099)/5/2021

प्रेषक,

राम चरन राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2026

विषय अनुदान सं0-17 लेखाशीर्षक- 2405,मछली पालन के अन्तर्गत 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों कोसहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) की द्वितीय किशत के रूप में धनराशि रू0 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 40/ ले0शाखा/बजट/ 2025-26,दिनांक 19 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक-2405, मछली पालन 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 83.33 लाख(तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 83.33 लाख (रू0 तिरासी लाख तैतींस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरितकर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(6) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

7. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-03-2025 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन,190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय / कम्प्यूटर संख्या- E-1-209-X-2025-26-दिनांक:31-1-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by RAMCHARAN RAM
Date: 11-02-2026 13:39:32

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

संख्या- 7 /2026/ 128(1)/ सत्रह-म-2026 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।